ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(5)

आर0ई0आर0 केश सं0– 182/16–17

वृंदा उर्फ लोना देवी बनाम् राम नारायण सिंह

-11-18

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया आवेदिका वृंदा उर्फ लोना देवी, पे0–स्व0 नारायण महाराज शर्मा व पति–शिव शंकर शर्मा, सा0+अंचल–महागामा के आवेदन पर मौजा–महागामा नं0–700, जमाबंदी नं0–166, दाग नं0–36, रकवा–00–11–00 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–महागामा नं0–700, जमाबंदी नं0–166, दाग नं0–36, रकवा–00–05–00 धूर जमीन पर विपक्षी सं0–1 राम नारायण सिंह, रकवा– 00–04–00 धूर भूमि पर विपक्षी सं0–2 सुखदेव पंडित एवं रकवा–00–02–00 धूर जमीन पर विपक्षी सं0–3 मानू मंडल ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। विपक्षीगण काफी पैसे वाले तथा प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जबकि आवेदिका एक गरीब महिला है। विपक्षीगण विवादित भूमि से संबंधित कोई भी कागजात दिखाते हैं तो वह अवैध है, क्योंकि विवादित भूमि का कोई भी कागजात आवेदिका द्वारा द्वारा विपक्षीगण को लिखित रूप में नहीं दिया गया है। आवेदिका अपने स्तर से विपक्षीगण के दखल की जमीन खाली कराने में असमर्थ है। विपक्षीगण का संबंध असमाजिक तत्वों से है, जिसकी मदद से वो आवेदिका की जमीन दखल करने में कामयाब हो गये है। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी वाद में लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं तथा विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का कागजात दाखिल किया गया है।

मध्यागन्तुक आशा देवी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से एक सुलहनामा का शपथ पत्र दायर किया गया है, जो लेख प्रमाणक, गोड्डा द्वारा दिनांक–03.07.2017 को निर्गत है, जिसमें आशा देवी एवं वृंदा देवी दोनों बहनों का आपस में बटवारा की बात करते हुए आर0ई0आर0 वाद वापस लेने की बात कही गई है। मध्यागन्तुक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इसी आधार पर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

मात्र एक सुलहनामा के आधार पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई जमाबंदी रैयत का जमीन हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। सुलहनामा के आधार पर वादगत भूमि मध्यागन्तुक आशा देवी के हिस्से में है। अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मौजा–महागामा नं0–700, जमाबंदी नं0–166, दाग नं0–36, रकवा–00–11–00 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

26.11.18

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

26.11.18

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

seen
26/11/18